षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-24.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्रीमती अनिता देवी, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्रीमती रेखा देवी, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स० श्री राजेंद्र कुमार, स०वि०स० श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स० श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स०	झारखंड बंटवारे के बाद मत्स्यपालन राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का एक बड़ा कारक है । मत्स्यपालन पूर्णत: मौसम पर आधारित होता है जहां एक तरफ सुखाड़ की स्थिति में तालाबों का पानी सूख जाने के कारण मछलियां मर जाती हैं वहीं बाढ़ आने पर मछलियां पानी के साथ बह जाती हैं । दोनों ही स्थितियां मत्स्यपालकों के लिये भयावह होती हैं । यह संकट प्रत्येक वर्ष मत्स्यपालकों के समक्ष उत्पन्न होता है और वे किसी न किसी आपदा चाहे वह सुखाड़ हो या बाढ़, प्रभावित होते हैं । आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तालाबों के सूख जाने से अथवा पानी भर जाने से मछलियों के नष्ट होने को प्राकृतिक आपदा में सूचीबद्ध नहीं किये जाने के कारण राहत-राशि मत्स्यपालकों को नहीं मिलती है । इससे मत्स्यपालक वर्ग मत्स्यपालन के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं जिसके कारण मछलियों का अन्य राज्यों से आयात करना पड़ रहा है । अत: बाढ़ एवं सुखाड़ से मछलियां नष्ट होने को प्राकृतिक आपदा घोषित किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	आपदा प्रबंधन

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स० श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र सं०-203) श्री विद्या सागर सिंह निषाद, स०वि०स० श्री ददन यादव, स०वि०स०	राज्य में आवासीय सोसाइटी बनाने हेतु पंजीकरण को लेकर बिहार अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में स्पष्ट तौर पर प्रावधान किया गया है कि सोसाइटी बनाने की स्थिति में को-ऑपरेटिव विभाग को आवासीय सोसाइटियों का निबंधन करना है लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है । जिसके कारण उक्त सोसाइटियों को बैंक खाता खोलने तथा पैन कार्ड निर्गत कराने में कठिनाई हो रही है । इस मद में आवासीय सोसाइटियों द्वारा करोड़ों की राशि फ्लैट धारकों से प्रतिमाह लिये जाते हैं जिसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है तथा समितियों का चुनाव भी प्रभावित हो रहा है एवं आए दिन विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है । अतएव अविलंब आवासित सोसाइटियों का निबंधन कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	सहकारिता / नगर विकास एवं आवास

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/19- 902 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग / सहकारिता विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-25/19- 902 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

23/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
23.7.19